UPJS010022472015

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १, झाँसी।

उपस्थित - जयतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा

J. O. CODE N0. U. P. 05983

सत्र वाद सं०- १८४/ २०१५

सरकार बनाम वीरपाल आदि

अ०धा०- ४९८ए, ३०४बी, ३०२ भा०द०सं० एवं
३/ ४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम
अ०सं०- ३१/ २०१५
थाना- उल्दन, जिला झाँसी।

आदेश

दिनांकः- ०४. ०१. २०२३

१- पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त **नरेन्द्र** जेरे हिरासत जरिये वी०सी० उपस्थित एवं अभियुक्ता **श्रीमती विनीता** जेरे जमानत उपस्थित। उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

२- अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की जा चुकी है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों का वर्णन करते हुए यह कथन किया है कि वह उपरोक्त अभियुक्तगण के दोष को किस किस साक्ष्य से प्रमाणित करने की प्रतिस्थापना करते है।

३. मैने इस मामले के अभिलेखों और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

४. उपर्युक्त विचार तथा सुनवाई के उपरान्त मै इस मत पर हूं कि ऐसी उपधारणा करने का प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि अभियुक्तगण **नरेन्द्र** एवं **श्रीमती विनीता** ने धारा अ०धा०- ४९८ए, ३०४बी भा०द०सं० एवं ४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं वैकल्पिक आरोप धारा ३०२ भा०द०सं० का अपराध कारित किया है और उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत उनका परीक्षण करने का पर्याप्त आधार है।

५. अतएव एतदद्वारा मै यह निर्देश देता हूं कि अभियुक्तगण **नरेन्द्र** एवं **श्रीमती विनीता** को धारा अ०धा०- ४९८ए, ३०४बी भा०द०सं० एवं ४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम एवं वैकल्पिक आरोप धारा ३०२ भा०द०सं० के आरोप से आरोपित किया जाये। अभियुक्तगण को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोप को अस्वीकार किया तथा विचारण की मांग की। फलस्वरूप अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही अग्रसारित की गयी। पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक १६ - ०१- २०२३ को पेश हो। अभियुक्तगण उपस्थित हों।

(जयतेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १,
झाँसी।

दिनांकः- ०४. ०१. २०२३

Digitally signed by JAITENDRA KUMAR
Date: 2023.01.05 16:00:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

UPJS010022472015

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १, झाँसी।

उपस्थित - जयतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा

J. O. CODE N0. U. P. 05983

सत्र वाद सं०- १८४/ २०१५

सरकार बनाम वीरपाल आदि

अ०धा०- ४९८ए, ३०४बी, ३०२ भा०द०सं० एवं
३/ ४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम
अ०सं०- ३१/ २०१५
थाना- उल्दन, जिला झाँसी।

आरोप

मैं जयतेन्द्र कुमार, अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १, झाँसी आप अभियुक्तगण **नरेन्द्र** एवं **श्रीमती विनीता** के विरूद्व निम्नलिखित आरोप विरचित करता हूँ -

१- यह कि दिनांक ०१. ०३. २०१२ को वादी ईश्वर दास की पुत्री भारती देवी का विवाह सहअभियुक्त वीरपाल के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न होने के उपरांत से दिनांक २२. ०२. २०१५ समय ००. ०० बजे से दिनांक २४- ०२- २०१५ के मध्य किसी समय बहद स्थान- चढ़रऊ धवारी, थाना- उल्दन, जिला- झाँसी के क्षेत्राधिकार में आप लोगों ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री भारती देवी को मारपीट कर तथा दूसरी शादी की धमकी देकर अतिरिक्त दहेज की लेकर कर शारीरिक व मानसिक रूप से यातनायें देकर क्रूरता कारित की। इस प्रकार आप लोगों का यह कृत्य भा. द. सं. की धारा- **४९८ए** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

२- यह कि उपरोक्त घटना दिनांक समय व स्थान पर वादी मुकदमा की पुत्री भारती देवी का सहअभियुक्त वीरपाल के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह होने के उपरांत आप लोगों ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर दिनांक २२. ०२. २०१५ को अतिरिक्त दहेज को लेकर मारपीट कर क्रूरता का व्यवहार किया तथा वादी की पुत्री को विवाह के सात वर्ष के अन्दर हत्या कारित कर असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु कारित कर दहेज मृत्यु कारित की। इस प्रकार आप लोगों का यह कृत्य भा. द. सं. की धारा **३०४बी** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

३- यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप लोगों ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री भारती देवी से अतिरिक्त दहेज को लेकर एवं मारपीट कर क्रूरता कारित कर प्रताड़ित किया। इस प्रकार आप लोगों का यह कृत्य दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा **४** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

वैकल्पिक आरोप

यह कि दिनांक २२. ०२. २०१५ समय ००. ०० बजे से दिनांक २४- ०२- २०१५ के मध्य किसी समय बहद स्थान- चढ़रऊ धवारी, थाना- उल्दन, जिला- झाँसी के क्षेत्राधिकार में आप लोगों ने सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा की पुत्री भारती देवी को मारपीट कर तथा दूसरी शादी की धमकी देकर अतिरिक्त दहेज को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से यातनायें देकर क्रूरता कारित की एवं मारपीट कर उसकी हत्या कारित करने का अपराध कारित किया। इस प्रकार आप लोगों का यह कृत्य भा०द०सं० की धारा **३०२** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

अतएव मैं एतदद्वारा आपलोगों को यह निर्देश देता हूं कि उक्त आरोप के लिए आपलोगों का विचारण न्यायालय द्वारा किया जाये।

(जयतेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १,
झाँसी।

दिनांकः- ०४. ०१. २०२३

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिसे उन्होने अस्वीकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(जयतेन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०- १,
झाँसी।

दिनांकः- ०४. ०१. २०२३